राजस्थान सरकार

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–2) विभाग

क्रमांक प0 27(51)चिस्वा/2/2016 जयपुर दिनांक 13.10.2016

M/s Allengers Medical Systems Ltd., SCO-212, 213, 214 Sector-34 A, Chandigarh.

अपीलान्ट

बनाम

प्रबन्ध निदेशक राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम लिमिटेड जयपुर

रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 38 RTPP Act 2012

प्रथम अपील संख्या: 51/2016 अन्तर्गत धारा 38(1),

राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012,

निर्णय दिनांक 13.10.2016

प्रस्तुत अपील पर, सुनवाई दिनांक 13.10.2016 को की गई। अपीलान्ट एवं रेस्पोन्डेन्ट दोनों पक्षकारों की बहस सुनी गई। अपीलान्ट फर्म M/s Allengers Medical Systems Ltd., SCO-212, 213, 214 Sector-34 A, Chandigarh की ओर से श्रीमती रुही पुरी, उप मुख्य प्रबन्धक एवं अन्य प्रतिनिधि उपस्थित हुये तथा आर.एम.एस.सी.एल की ओर से श्री ओम कसेरा, प्रबन्ध निदेशक, कार्यकारी निदेशक (ई.पी.एम.) एवं वरिष्ठ प्रबंधक–I (ई.पी.एम.) आदि उपस्थित हुये। सुनवाई दौरान दोनो पक्षो द्वारा दी गई दलीलों के आधार पर संक्षिप्त मे प्रस्तुत अपील के तथ्य इस प्रकार है :–

1. रेस्पोंडेंट, राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम के द्वारा उपकरणों के कय हेतु खुली निविदाए आमन्त्रित किये जाने हेतु निविदा संख्या No. F-8( ) RMSC/EPM/M-5/15-16/NIB-75/10167 dated 10.04.2015 जारी की गयी। इस निविदा सूचना अन्तर्गत सभी निविदादाताओ की तकनीकी बिड दिनांक 22.07.2015 को ई–पोर्टल के माध्यम से प्राप्त की गई। उक्त निविदा अन्तर्गत फर्म M/s Allengers Medical Systems Ltd., Chandigarh के द्वारा आईटम 100mA High Frequency X-Ray Machine, 300mA High Frequency X-Ray Machine, 500mA High Frequency X-Ray Machine & High Frequency 100mA Mobile X-ray Machine के लिये अपनी निविदा प्रस्तुत की गयी। रेस्पोंडेंट, द्वारा जारी किये गये टेण्डर फार्म में सभी निविदादाताओ से Annexure BF-V मांगा गया। इस Annexure BF-V (शपथ पत्र राशि रू 200/– के Non-Judicial Stamp paper पर) के बिन्दु संख्या 6 में सभी निविदादाता फर्मो को Blacklisted/ Banned/Debarred by Union Govt. or any State Govt. or their subordinate department" के संबंध में एक शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य था। निविदादाता फर्मो से शपथ पत्र में अपेक्षा रहती है कि शपथ पत्र में अंकित तथ्य सत्य एवं सही प्रस्तुत किये जायेगें।

2. उक्त निविदा संख्या 75 dated 10.04.2015 अन्तर्गत फर्म M/s Allengers Medical Systems Ltd., SCO-212, 213, 214 Sector-34 A, Chandigarh ने Annexure BF-V के बिन्दु संख्या 6 में निम्नानुसार घोषणा/शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया:–

"We do hereby undertake that our company/firm has not been Blacklisted/ Banned/Debarred by Union Govt. or any State Govt. or their subordinate department from participation in bidding".

3. इसी निविदा के कम मे रेस्पोंडेन्ट राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम को यह तथ्य जानकारी मे आया कि फर्म M/s Allengers Medical Systems Ltd., Chandigarh को Directorate of Health Services (Maharashtra State), Mumbai ने आदेश कमांक DHS/PC/File No. 586/E-296//participation in Tender/361/T-2/2014 दिनांक 17.12.14 से निविदा प्रक्रिया में भाग लेने हेतु एक वर्ष के लिये प्रतिबन्धित (Prevented to participat in tender process of of Directorate of Health Services) किया गया है। आदेश अनुसार यह प्रतिबंध दिनांक 16.12.2015 तक था।

रेस्पोंडेन्ट की निविदा सूचना संख्या 75 दिनांक 10.04.2015, जिसकी प्राप्ति दिनांक 22.07.2015 थी एवं फर्म M/s Allengers Medical Systems Ltd., Chandigarh पर प्रतिबन्ध इस दिनांक से पूर्व दिनांक 17.12.2014 को लगाया गया था। अतः टेण्डर फार्म के Annexure BF-V के अनुसार फर्म M/s Allengers Medical Systems Ltd., Chandigarh का स्वयं का यह उत्तरदायित्व था कि वह Directorate of Health Services (Maharashtra State), Mumbai के आदेश दिनांक 17.12.2014 का शपथ पत्र मे उल्लेख करता। परन्तु उनके द्वारा इस आदेश को छिपाते हुये निविदा प्रस्तुत की गई। फर्म द्वारा यह तथ्य प्रकट नही करना एवं झूठा शपथ पत्र व झूठे तथ्य प्रस्तुत करना निविदा की शर्त संख्या 36 (ii) के उल्लंघन की श्रेणी में आता है। रेंस्पोंडेन्ट ने अपीलार्थी फर्म M/s Allengers Medical Systems Ltd., Chandigarh को स्पष्टीकरण का अवसर देते हुये पत्र कमांक 1722 दिनांक 04.04.2016 जारी किया। फर्म द्वारा निगम को, उक्त तथ्य प्रकट नहीं करने के संबंध में दिया गया स्पष्टीकरण निम्नानुसार हैः–

"The fact is that, Directorate of Health Services (Maharashtra State), Mumbai vide their letter number. DHS/PC/File No.: 586/E-296/participation in tender/ 361/T-2/2014 dtd. 17.12.2014; had only prevented us to participate in their tender process till dt. 16.12.2015 as a lesson to us to ascertain complete facts before making any complaint to the Government, as lot of precious time goes in vain in dealing with such matters and it has nothing to do with issue related with quality, performance & after sales of our equipments(s). In fact, the said department has kept business relation with us after the issuance of aforesaid letter. For your ready reference we have enclosed herewith attested copies of purchase orders dtd. 31.12.2014 and dtd. 29.06.2015 issued by Directorate of Health Services (Maharashtra State), Mumbai. Therefore, it is evident that the said department has maintained business dealing with us even after dt. 17.12.2014."

Firm has stated that, they have not been declared defaulter, blacklisted or debarred by any state or central Government or Constitutional authority or financial institution or judicial court or any Government undertakings.Firm has also stated that, the authorities at Gujarat Medical Services Ltd., Gandhinagar has also sought information from DHS, Mumbai on the similar instance during their tender finalization process and on receipt of satisfactory reply from DHS authorities has have issued them Purchase orders worth Rupees 7.00 Crores.

फर्म द्वारा निगम को प्रस्तुत किये गये स्पष्टीकरण के अवलोकन से यह ही स्पष्ट होता कि प्रतिबंध की अवधि के दौरान Directorate of Health Services (Maharashtra State), Mumbai ने जो आपूर्ति आदेश जारी किये गये वें पूर्व की निविदाओं एवं दर संविदाओं के विरूद्ध जारी किये गये थे।

4. फर्म द्वारा प्रस्तुत किये गये तथ्यों को निगम की अनुशासन समिति मे भी विचार किया गया एवं फर्म M/s Allengers Medical Systems Ltd., Chandigarh को दिनांक 16.05.2016 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु अवसर भी दिया गया। निगम की अनुशासन समिति ने भी फर्म

M/s Allengers Medical Systems Ltd., Chandigarh के द्वारा निगम में प्रस्तुत की गयी निविदा में तथ्यों को छिपाया जाना मानते हुये फर्म के विरूद्ध निविदा की शर्त संख्या 36 के अनुसार कार्यवाही की जाने की अनुशंषा की। अनुशासन समिति की अनुशंषा आधार पर क्रय समिति की बैठक दिनांक 22.06.2016 में फर्म M/s Allengers Medical Systems Ltd., Chandigarh को राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम द्वारा जारी किये जाने वाली निविदाओं में भाग लेने हेतु एक वर्ष की अवधि के लिये Debar किये जाने का निर्णय लिया गया।

5. क्रय समिति द्वारा लिये गये निर्णय की अनुपालना में फर्म M/s Allengers Medical Systems Ltd., Chandigarh को राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम द्वारा जारी किये जाने वाली निविदाओं में भाग लेने हेतु कार्यालय आदेश क्रमांक 3233 दिनांक 20.07.16 द्वारा एक वर्ष की अवधि के लिये Debar किया गया। उक्त अवधि दिनांक 19.07.2017 तक प्रभावी होगी।

अपीलार्थी फर्म द्वारा अपील में प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों एवं साक्ष्यों के अवलोकन एवं रेस्पोन्डेन्ट द्वारा अवगत कराये गये तथ्यों के अनुसार स्पष्ट होता है कि निगम के द्वारा फर्म M/s Allengers Medical Systems Ltd., Chandigarh को तथ्य छुपाने के लिये आदेश क्रमांक 3233 दिनांक 20.07.2016 से जो Debar किया गया है, वह फर्म को पर्याप्त सुनवाई अवसर देते हुये एवं प्रक्रिया को पूर्ण करते हुये किया गया है। अपील बहस दौरान भी अपीलार्थी फर्म M/s Allengers Medical Systems Ltd., Chandigarh ऐसा कोई तथ्य अथवा दस्तावेज प्रस्तुत नही कर पाई जिससे यह साबित होता हो कि रेस्पोडेन्ट का Debar का आदेश दिनांक 20.07.2016 प्रकिया विरूद्ध हो। रेस्पोडेन्ट का यह तर्क स्वीकार्य है कि फर्म को अपनी निविदा प्रस्तुत करते समय निविदा के प्रपत्र Annexure BF-V जो कि एक शपथ पत्र भी है, में Directorate of Health Services (Maharashtra State), Mumbai के DHS/PC/File No.586/E-296//participation in Tender/361/T-2/2014 दिनांक 17.12.2014 के प्रतिबन्ध आदेश का उल्लेख करना चाहिये था, चाहे इसका प्रभाव/अभिप्राय कुछ भी हो। फर्म M/s Allengers Medical Systems Ltd., Chandigarh द्वारा यह तथ्य Annexure BF-V में उल्लेखित नही किये जाने के कारण निगम की निविदा 75 दिनांक:10.04.2015 की शर्त संख्या 36 के अनुसार कार्यवाही के लिये स्वयं उत्तरदायी है। अतः उपरोक्तानुसार रेस्पोन्डेन्ट के आदेश क्रमांक 3233 दिनांक 20.07.2016 को उचित मानते हुये, अपीलार्थी की अपील आधारहीन होने के कारण अपास्त की जाती है। यह स्पष्ट किया जाता है कि फर्म को राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम लिमिटेड, जयपुर में निविदाओं में भाग लेने के लिए डिबार किया गया है, अन्य निगमों पर अन्य संस्थानों के टेण्डर में भाग लेने में यह निर्णय मान्य नहीं है, इसके अतिरिक्त आदेश में किसी परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है।

आदेश

उपरोक्त कारण से अपीलार्थी की अपील अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है। निर्णय से सभी पक्षकारों को अवगत कराया जावें। आदेश की प्रति पक्षकारान को निशुल्क उपलब्ध कराई जावे एवं राज्य उपापन पोर्टल पर भी दर्शित किया जावें। पत्रावली निर्णय मे सम्मिलित की जाकर कार्यालय में नियमानुसार संधारित की जाती है।

अपीलीय अधिकारी एवं
विशिष्ठ शासन सचिव